न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 63 / 2018

ओमप्रकाश उम्र 64 वर्ष पुत्र दम्पे जाति जाटव निवासी कस्बा रूपवास अम्बेडकर जाटव मौहल्ला तहसील रूपवास जिला भरतपुर (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्रीचंद उम्र 72 वर्ष } पुत्रगण दम्पे जाति जाटव निवासी कस्बा रूपवास
2– नारायन उम्र 66 वर्ष } अम्बेडकर जाटव मौहल्ला तहसील रूपवास जिला भरतपुर
3– राधेश्याम पुत्र परसादी जाति जाटव निवासी ग्राम खेडा ठाकुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4– रूपचंद पुत्र विजयपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पछादरा हाल निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
5– रवि कुमार पुत्र विजयपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पछादरा हाल निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
6– अनीता पत्नि राजेन्द्र जाति जाटव निवासी भैंसा हाल रूपवास जिला भरतपुर
7– उर्मिला पत्नि डालचंद जाति ठाकुर निवासी रूपवास जिला भरतपुर
8– शीलादेवी पत्नी टेकचंद जाति कोली } निवासी रूपवास जिला भरतपुर
9– मुकेश कुमार पुत्र मंगल जाति खटीक }
10–कमलेश पत्नी तेजसिंह } जाति जाटव निवासी ग्राम मुर्रिका तहसील
11–कमलेश कुमारी पत्नि विजय कुमार } रूपवास जिला भरतपुर
12–किरनदेई पत्नी रोशनलाल जाति जाटव निवासी कांधोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
13–ममता पत्नि सोवरनसिंह जाति जाटव निवासी खुडासा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
14– सुनील कुमार पुत्र कमलसिंह } जाति खटीक निवासी रूपवास तहसील रूपवास
15– संतोश कुमार पुत्र वेदरिया } जिला भरतपुर।
16– रामस्वरूप पुत्र राजाराम जाति कोली निवासी वडरिया तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
17– गीतम सिंह पुत्र ठकुरी जाति धोबी निवासी ग्राम डांडो तहसील खेरागढ जिला आगरा (उ.प्र.)
18– सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर।
19– परियोजना निदेशक एनएचएआई पीआईई दौसा जिला दौसा।
20– तहसीलदार रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

.....2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 18 लैण्ड एक्वीजीशन अधिनियम

निर्णय **दिनांक 25.02.2020**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 18 राजस्थान लैण्ड एक्वीजीशन अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि वाके कस्वा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1240 रकवा 4 बीघा 18 विस्वा में प्राथी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 17 सह खातेदार काश्तकार क रूप में राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वहिस्सा बराबर के खातेदार थे । उक्त आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 125 / 1176 है । अभी तक हिस्सानुसार प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 17 के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । निदेशक भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूची राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 123 के 45 कि0मी0 से 26.730 कि0मी0 और 25.980 कि0मी0 से 21.500 कि0मी0 तक (उंचा नगला धौलपुर सैक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि के संक्षिप्त विवरण में भरतपुर जिला की तहसील रूपवास के कस्वा रूपवास का खसरा नम्बर 1240 बारानी रकवा 0.1175 हैक्टिर अन्य आराजी के साथ दर्ज है । इस सम्बन्ध में प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी ने अपना नाम जुड़वाने हेतु अप्रार्थी संख्या 18 सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी रूपवास के यहां दिनांक 07.03.2018 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उनके द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही मनमानी तरीके से दिनांक 20.04.2018 को निरस्त कर दिया ।

प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 1240 रकवा 4 बीघा 18 विस्वा में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के साथ वहिस्सा बराबर व इस समय अप्रार्थीगण के साथ 125 / 1176 हिस्सा का सह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है । आराजी खसरा नम्बर 1240 रकवा 4 बीघा 18 विस्वा का कानूनी बंटवारा आज दिन तक नहीं हुआ है किन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने मनवट से अपने अपने हिस्सानुसार आवासीय भूखण्ड बनाबर अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 17 को विक्रय कर दिया जिनके नाम नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज हो गए और राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया । शेष रकवा खाली था जो उक्त राज मार्ग में आ गया जिसे अप्रार्थी सं0 18 द्वारा अवाप्त किया जा रहा है । वर्तमान मे ं प्रार्थी का हिस्सा 125 / 1176 का है और वह अवाप्त की गई आराजी में

.....3

हितबद्ध व्यक्ति है तथा अपने हिस्सानुसार मुआवजा पाने का अधिकारी है । अप्रार्थी संख्या 18 द्वारा तलव की गई रिपोर्ट जो तहसीलदार रूपवास व एन.एच.आई.के प्रतिनिधि ने पेश की है वह गलत है और मौका के खिलाफ है । खसरा नम्बर 1240 की खाली भूमि राजमार्ग में चली गई है जिसमें प्रार्थी का भी हिस्सा है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2019 पर जो आदेश दिनांक 20.04.2018 को पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । पारित अवार्ड में काफी अनियमितताऐं हैं । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1240 कस्बा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में हिस्सानुसार मुआवजे का निर्धारण हेतु प्रकरण का रैफरैन्स किये जाने का निवेदन किया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रूपवास से तहत अभिलेख तलव किया जो संलग्न पत्रावली है । अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,17 दिनांक 12.07.2018 को असालतन उपस्थित हुए । दिनांक 18.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1,2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आए । दिंनांक 24.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 4,5की ओर से भी उनके अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ । अप्रार्थी संख्या 3,6,7 व 17 की ओर से जरिये अभिभाषक जबाव पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है । दिनांक 05. 09.2019 को अप्रार्थी सं0 19 एवं दिंनांक 20.11.2019 को अप्रार्थी सं0 8,12 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए और अप्रार्थी संख्या 19 के द्वारा दिनांक 08.01.2020 को अपना जबाव प्रस्तुत किया । इसी प्रकार अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से दिनांक 28.01.2020 को जरिये अभिभाषक जबाव पेश हुआ।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा मूलतः विभाजन की कहते हुए व आराजी में स्वयं को खातेदार बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है । इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में विभाजन का वाद पेश करना चाहिए । विभाजन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1240 में अपने हिस्से का विक्रय दिनांक 21.04.2006 को भूखण्डों के रूप मे ं दीगर व्यक्तियों को कर दिया है । प्रार्थी का कोई हिस्सा आराजी में शेष नहीं है तथा प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है । तहसीलदार रूपवास की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20.04.2018 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है । अप्रार्थीगण द्वारा वयनामा दिनांक 21.04.2006 की फोटो प्रति पेश की है ।

.....4

इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 3 के द्वारा जबाव पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 1 / 23 हिस्सा प्लाट के रूप में क्रय किया है जिसकी सीमाओं का विवरण अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में अंकित किया है और यह भी अंकित किया हे कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि में से 0.0343 है0 भूमि को अवाप्त कर मुआवजे का निर्धारण किया है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मन्त्रालय द्वारा ''3ए'' की अधिसूचना जारी कर भूमि की अवाप्ति व मुआवजा निर्धारित किया है । निर्णय दिनांक 20.04.2018 अन्तिम है । अन्त में अप्रार्थी ने अपने जबाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई है । प्रार्थी ने अपने जबाव के साथ वयनामा दिंनांक 25.07.2011 की फोटो प्रति संलग्न की है ।

इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 6, 7 व 17 की ओर से भी अप्रार्थी सं0 3 के जबाव के अनुसार ही अपने अपने भिन्न भिन्न जबाव न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जबाब के समर्थन में बयनामा दिनांक 22.02.2007 मय नक्शा, मुकदमा नम्बर 63 / 2007 उनवानी श्रीचंद बनाम डालचंद सिविल न्यायालय रूपवास की आदेशिका तहसीलदार रूपवास द्वारा दिनांक 14.03.2010 को पेश की गई मौका रिपोर्ट की प्रति, निर्णय दिनांक 05.05.2007 ग्राम पंचायत रूपवास मय नक्शा की प्रतियां पेश की हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 17 ने अपने जबाब के साथ वयनामा दिनांक 15.04.10 की प्रति मय नक्शा, तहसीलदार रूपवास की रिपोर्ट दिनांक 14.03.2018 की प्रति , भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 16 / 383 दिनांक 08.02.2016 तथा हाल जमाबंदी की फोटो प्रति पेश की है ।

इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 19 के द्वारा जबाव प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि उक्त आवेदन के माध्यम से माननीय न्यायालय को स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है । दिनांक 20.11.2017 को सड़क परियोजना के तहत भारत सरकार का राजपत्र क्रमांक 3653(अ) की अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसका प्रकाशन स्थानीय समचार पत्रों में दिनांक 28.02.2018 को प्रकाशित कर हितबद्ध पक्षकारों की आपत्तियों का निर्धारण कर सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2018 को मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया जा चुका है । इस क्रम में ख0नं0 1240 का भी अवार्ड हितबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में पारित किया जा चुका है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो अवार्ड

.....5

पारित किया गया है,वह सही है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वाके ग्राम कस्बा रूपवास तहसील रूपवास स्थित खसरा नम्बर 1240 रकवा 4 बीघा 18 बिस्वा में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1,2 वहिस्सा बराबर बराबर के खातेदार थे । आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 के लिए प्रार्थी की उक्त आराजी को अवाप्त किया गया है परन्तु प्रार्थी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है जबकि प्रार्थी आराजी में सह खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी (भूमि आवाप्ति) रूपवास के समक्ष 07.03.2018 को मुआवजे में नाम जुड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिंनांक 20. 04.2018 को प्रार्थी को सुने बिना गलत प्रकार से निरस्त कर दिया । प्रार्थी का हिस्सा आराजी में अंकित है । प्रार्थी मुआवजे का हकदार है । प्रार्थी आराजी में हितबद्ध व्यक्ति है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी के हितों को नजरंदाज करते हुए गलत अवार्ड पारित किया है । प्रार्थी का अवार्ड में नाम नहीं जोड़ने से काफी अहित हुआ है । अतः प्रार्थी के हिस्सा अनुसार मुआवजे के निर्धारण हेतु प्रकरण रेंफरेंस किया जावे ।

विद्वान अभिभाषकगण अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है । प्रार्थी ने उक्त खसरा नंबर 1240 में अपने हिस्से को पंजीकृत वयनामा दिनांक 21.04.2006 को भूखण्डों के रूप में विक्रय कर दिया है । प्रार्थी द्वारा आराजी में अपना हिस्सा 125 / 1176 बताया है जो गलत है। अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थी का कोई हिस्सा नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दि0 20.04.2018 को विधिसम्मत आदेश पारित किया है। जो प्रार्थी को सुनकर किया गया है। उक्त आदेश करने से पूर्व भूमि अधिकारी द्वारा तहसीलदार रूपवास की मौकारिपोर्ट भी तलब की गई थी जिसमें प्रार्थी की भूमि नेशनल हाइवे में नहीं जाने बावत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है और न ही अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का कोई हिस्सा निहित है। आराजी का बेचान भूखण्डों के रूप में हो चुका है। और जिन व्यक्तियों के भूखण्ड व भूमि नेशनल हाइवे द्वारा अवाप्त की गई है उनके हक में सक्षम प्राधिकारी

.....6

द्वारा अवाप्त शुदा भूमि का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी के कब्जे की भूमि जब नेशनल हाइवे बावत अवाप्त ही नहीं की गई है तो अवार्ड में प्रार्थी का नाम जोडने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी का विवाद विभाजन से संबंधित है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्राप्त रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति वयनामा 22.02.2007 तहसीलदार रूपवास की रिपोर्ट दिनांक 14.03.10, वयनामा दिनांक 25.07.2011, वयनामा दिनांक 15.04.2010 व 11.12.08 तथा तहसीलदार रूपवास की रिपोर्ट दिनांक 14.03.2018 तथा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पारित अधिसूचना 2017, भूमि अवाप्ति अधिकारी रूपवास द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20.04.2018 व अधिनियम अवार्ड, तहसीलदार रूपवास द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपवास को प्रस्तुत मौका संबधी रिपोर्ट क्रमांक 822 दिनांक 20.04.2018 पर गौर किया। प्रार्थना के पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया है कि आराजी में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के साथ वहिस्सा बराबर का खातेदार है परन्तु नेशनल हाईवे में आराजी अवाप्त होने के बाद भी प्रार्थी का अवार्ड में नाम नहीं आया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्वयं को आराजी में हिस्सेदार मानते हुए अवार्ड की बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से रेफरेन्स करने का अनुतोष चाहा है। इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है प्रार्थी द्वारा बयनामा द्वारा 21.04.2006 को छिपाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि उक्त वयनामा स्वयं प्रार्थी द्वारा हस्तगत आराजी की बाबत किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1,2 जो प्रार्थी के भाई जो आराजी खसरा नम्बर 1240 में वहिस्सा बराबर के खातेदार थे के द्वारा भी अपनी भूमि को भूखण्डों (प्लॉट) के रूप में दीगर व्यक्तियों को बेचान किया गया है। जिनमें अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 17 ऐसे ही व्यक्ति है, जिन्होनें उपरोक्त आराजी को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से जरिये पंजीकृत वयनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और उनके नाम विवादित आराजी में दर्ज हो चुके है, जो भूखण्डों पर काबिज हैं। पत्रावली में उपलब्ध वयनामा फोटो प्रति में भी प्रार्थी द्वारा विक्रय की गई विवादित आराजी की बावत दिशाऐं भी खोली हुई हैं इससे स्पष्ट है कि क्रेतागण खरीद शुदा प्लाट पर काबिज हैं जो नेशनल हाईवे के लिए अवाप्ति में आई है,न कि प्रार्थी की। इस तथ्यको प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। जिसमें प्रार्थी द्वारा यह उल्लेख किया

.....7

है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1,2 ने मनवट से अपने– अपने हिस्सानुसार आबादी के भूखण्ड बनाकर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 17 को विक्रय कर दिया। जिनके नाम नामान्तकरण दर्ज हो गए हैं। इस प्रकार प्रार्थी की उक्त स्वीकारोक्ति से ही यह जाहिर है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आराजी के भूखण्ड बनाकर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 17 को विक्रय किया। जिनके भूखण्ड व भूमि सड़क के पास थे, उन्हें अवाप्त की गई भूमि के अनुसार उनके हक में अवॉर्ड पारित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अवॉर्ड में प्रार्थी द्वारा अपना नाम जुडवाने हेतु प्रा0पत्र दि0 07.03.2018 को भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) रूपवास को प्रस्तुत किया गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा विवादित आराजी की बावत मौका रिपोर्ट तहसीलदार रूपवास से तलव की गई है । तहसीलदार रूपवास द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष पेश प्रस्तुत मौका रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / अवार्ड / 2018 / 822 दि0 20.04.2018, तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रेषित विस्तृत रिपोर्ट की मद सं0 10 में अंकित है कि :–

> ''.....प्रकरण सं0 10 ओमप्रकाश पुत्र दम्पे जाति जाटव निवासी रूपवास द्वारा खसरा नंबर 1240 वाके ग्राम रूपवास में हिस्सा 125 / 1176 दर्ज रिकार्ड है, मौके पर उक्त हिस्से में से भूमि अवाप्ति मे होने बावत किया है। प्रा0पत्र पटवारी / भू0अभिलेख निरीक्षक एवं एन.एच.आई. 123 के प्रतिनिधि की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के हिस्से की मौके पर भूमि अवाप्ति नहीं हो रही। अतः प्रा0पत्र अस्वीकार किया जाना उचित होगा''।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बाके कस्वा रुपवास स्थिति आराजी खसरा नंबर 1240 में से प्रार्थी के हिस्से का रकवा नेशनल हाईवे में अवाप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी के प्रा0पत्र दि0 07.03.2018 पर उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा दिनांक 20.04.2018 को जो आदेश पारित किया है, उसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 18 लैण्ड एक्वीजिशन अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.28 16:43:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: